हुक्म

23/8/22 पत्रावली पेश हुई वादीगण-
प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण को
भेजे गए समन दस्ती तामील
रसीद प्रार्थी Adv. ने पेश
की। न्यायालय समक्ष अप्रार्थी
सं. 1 से 6 को तीन बार आवाज
लगाई गयी लेकिन उपस्थित
नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 से
6 विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई जाती है।
बहस पक्षकारान सुनी गयी
बहस पर मनन किया। पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया
अतः न्यायालय ने प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता
है। निर्णय पृथक से लिखा
जाकर खुले इजलास सुनाया
गया। निर्णय पालनार्थ तहसीलदार
को तहरीर जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

नायब तहसीलदार, ...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 166 / 2022

प्रार्थीगणः–

1. गणपतराम पुत्र श्री मंगलाराम
2. जमना पत्नी श्री मदनराम
3. महिपाल जाखड पुत्र श्री गणपतराम
4. मीरा देवी पत्नी श्री गणपतराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. किशोरसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
3. गोविन्दसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
4. नारायणसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
6. सिरेकंवर पत्नी श्री बलवन्तसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम रामगढ तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय **दिनांक** 23/8/2022

तहसील तिवरी के ग्राम रामगढ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 932 रकबा 4.0226 हैक्टेयर, खसरा संख्या 932 / 1 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आयी हुई है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 932 व 932 / 1 के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 933 रकबा 7.6324 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की तरफ की सीमाओं को आगे पीछे करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दी थी। इसलिए प्रार्थीगण ने सीमांकन की राशि राजकोश में जमा करवाकर के नियमानुसार पैमाईस करने का आदेश पारित किया जिस पर हल्का पटवारी से दिनांक 10.06.2022 सीमांकन हेतु मौके पर गए लेकिन हल्का पटवारी मौके पर जाने के बाद अप्रार्थीगण ने मौके पर विवाद खड़ा कर दिया व पैमाईस नहीं करने दी जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को काफी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं तथा मौके पर लडाई झगडा करने पर अमादा है। अप्रार्थीगण सीमाओं पर पत्थर गडडी नहीं करवा करके प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं पर पत्थर गडडी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम रामगढ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 932 रकबा 4.0226 हैक्टेयर, खसरा संख्या 932 / 1 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर पत्थर गडडी करवाने का आदेश फरमावे साथ ही एस.एच.ओ. मथानिया को आदेश फरमावें कि उक्त पत्थर गडडी के कार्य सम्पादन में समुचित पुलिस इमदाद दिलायी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की सीमाओ को खूर्द बुर्द करना चाहते है। व और न ही पैमाईश करने दिया। इसीलिए पत्थरगढी कार्यवाही की जावे।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम रामगढ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 932 रकबा 4.0226 हैक्टेयर, खसरा संख्या 932/1 रकबा 4.0469 हैक्टेयर के भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी चाही गई है प्रार्थीगण को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के ग्राम रामगढ की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 932 रकबा 4.0226 हैक्टेयर, खसरा संख्या 932/1 रकबा 4.0469 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की तहसीलदार तिंवरी टीम गठित की जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्थरगढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

आदेश आज दिनांक 23/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां